न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

(40)

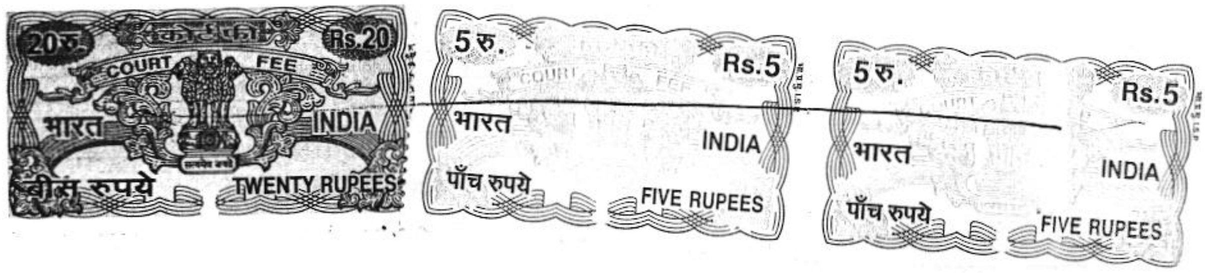


II/निगरानी/रीवा/भू.रा./2018/0372

पुनरीक्षण कर्ता :- 1:- चित्रेन्द्र पाठक पिता स्व. श्री हनुमान प्रसाद पाठक

2:- शान्ती पाठक पत्नी स्व. हनुमान प्रसाद पाठक

दोनों निवासी ग्राम खड्डा तह. गुढ़, जिला रीवा म.प्र.

बनाम

गैर पुनरीक्षण कर्ता :- 1:- रवीन्द्र पाठक पिता स्व. इन्द्रवली पाठक नि. ग्राम खड्डा, तहसील गुढ़, जिला रीवा म.प्र.

2:- शासन म.प्र. जरिये कलेक्टर रीवा म.प्र.

श्री चित्रेन्द्र पाठक आवि० 12-1-18 को ... 19-1-18 नियत।

(signature) 12-1-18

पुनरीक्षण विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय, तह. गुढ़, जिला रीवा म.प्र. के प्र.क्र. -0008/अपील/2017-2018 में पारित आदेश दि० 13.11.17 दिनांक 29.11.2017 व 10.1.2018 के विरुद्ध

---

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा - 50 म.प्र. भू-रा. संहिता

---

मान्यवर,

पुनरीक्षण के आधार निम्नलिखित है:-

1:- यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 10.1.18 विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

XXIX(a)-BR(H)-11

(40)

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक** - दो/निगरानी/रीवा/भू.रा./2018/372

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| **05/04/2019** | आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी गुढ़ के प्रकरण क्रमांक 08/अपील/17-18 में पारित आदेश दिनांक 13.11.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 20.06.2019 को कलेक्टर जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हों।<br><br>**(बी.एम. शर्मा)**<br>**सदस्य** | |